

32
2022

2022/228

प्रपत्र 8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प धानिया

प्रशासन गांवों के सगे आगोपान - 2021

62
8/6/22

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मुरलीपुरा व भू.अ.नि. धानिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शाहपुरा/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धानिया तहसील शाहपुरा व जिला शाहपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 41 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	धानियापुरा	41	धन्नालाल पुत्र धन्नालाल	धन्नालाल पुत्र धन्नालाल पुत्र जोरु श्री. इन्द्र प्रसाद जमाबन्दी प्रथागत रहेगा।

(अन्वित)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, शाहपुरा

क्रमांक :- 63-64

दिनांक :- 8/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री धन्नालाल पुत्र धन्नालाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

एक प्रतिलिपि
A.O.K.
कमल
वेद प्रसाद
8/6/2022

(अन्वित)
उप पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
शाहपुरा